

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2015—वैशाख 4, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2015

अधिसू. क्र-भ.स.क.म.म-2014-6417.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की अधिसूचना क्रमांक भ.स.क.म.-2014-2441, दिनांक 1 अगस्त 2014 द्वारा चिकित्सा सहायता योजना (पुनरीक्षित)-2004 प्रकाशित की गई थी. उक्त जारी अधिसूचना में राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

अर्थात् —

संशोधन

उक्त योजनाओं के प्रावधानों में—

कंडिका 2.6 “अस्पताल” से अभिप्रेत, राज्य बीमारी सहायता निधि तथा मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त तथा दीनदयाल अत्योदय उपचार, योजना हेतु अधिकृत अस्पतालों से हैं.

के स्थान पर—

कंडिका 2.6 “अस्पताल” से अभिप्रेत, राज्य बीमारी सहायता निधि तथा मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त तथा दीनदयाल अत्योदय उपचार, योजना हेतु अधिकृत अस्पतालों तथा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से मान्यता प्राप्त अस्पतालों से हैं।

प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. कंडिका 2.7(1) के पश्चात् कंडिका 2.7(2) निम्नानुसार स्थापित की जाती है:—

कंडिका 2.7(2) “जिला स्तरीय समिति” से आशय राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति से है।

एस. एस. दीक्षित, सचिव.